यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-IV रा.क., रूड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-IV रा.क., रूड़की के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण वरि. लेखापरीक्षक, श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.10.2018 से 30.10.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार, एवं श्री सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.2017 से 13.12.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	37026.72
2016-17	39708.95
2017-18	21940.20 (07/2017)

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (₹)		स्थापना (₹)		गैर स्थापना (₹)		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	229.06	218.54	273.76	225.87	-	58.41
2016-17	-	-	324.38	305.32	487.14	452.92	-	53.28
2017-18	-	-	427.50	425.03	259.02	225.36	-	36.13

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **निर्माता एवं ट्रेडिंग** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-IV रा.क., रूड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 12/2017, 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - 12/2017, 01/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर सं0 01- कर का न्यूनारोपण ₹150.08 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल के भिन्न माल के विक्रय पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-4 राज्यकर, रूडकी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि व्योव्हारी सर्वश्री हिल-टॉप रबर प्राइवेट लिमिटेड तथा सर्वश्री विजय रबर इंडस्ट्रीज रूडकी द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹ 17,65,74,287/- की रिट्रीटिंग रबड़ की बिक्री की गयी थी। जिस पर 5 प्रतिशत की दर से कर अदा किया गया था।

इस प्रकार संगत वर्ष में कुल ₹ 17,65,74,287/- की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5 प्रतिशत की दर से ₹ 1,50,08,814/- का अतिरिक्त कर आरोपित होगा। जिसे जमा करने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी पर रिट्रीटिंग रबड़ की बिक्री पर 5% की दर से कर आरोपित किया गया है, इस सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त कर, उत्तरांचल विधि अनुभाग के पत्रांक-2619/विधि/2006-07/आoयु० उत्तरा०/देo वाणिज्यकर/पत्रांक स-29/पार्ट-2/देo दूनo/दिनांक 28.08.2006 के द्वारा क्रमांक संख्या 4 पर अनुसुची – II की प्रविष्टि संख्या 96 में रबर शामिल है| प्रोक्योर्ड ट्रैंड रबर जिसका उपयोग प्रयोग किये टायर तथा tube रिटायडिंग में किया जाता है भी रबर है| अत: इस वस्तु पर प्रविष्टि संख्या-96 के अनुसार ही 4% (2012-13 में 5%) की दर से करदेयता मानना उचित है| इस सम्बन्ध में धारा 57 के अंतर्गत जों निर्णय दिया गया है वह ट्रैंड रबर से सम्बंधित है उक्त्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि " जहाँ तक उत्तराखंड शासन द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गये clarification का प्रश्न है शासन द्वारा केवल प्रोक्योर्ड ट्रेंड रबर के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त किया था न कि ट्रेड रबर के बारे में" इस प्रकार धारा 57 का निर्णय इस मामले में लागू नहीं होता है|

ट्रैंड रबर एक रॉ मटेरियल है जिसको ग्राम सांचे में ढाल कर ग्रुज करने के बाद पुराने टायर पर चढ़ाया जाता है इस प्रक्रिया को रिट्रीडिंग कहा जाता है इस प्रकार रिट्रीडिंग रबड़ कोई अलग वस्तु न होकर प्रक्रियागत नाम है जिसमे प्रोक्योर प्रयोग करने के उपरांत ही टायरो की रिट्रीडिंग प्रक्रिया पूर्ण की जाती है| चूँकि व्यापारी द्वारा परिवहन निगम के सरकारी बसों के टायरों का रिट्रीडिंग का कार्य किया जाता है अत: ऐसी स्तिथि में जहाँ प्रोक्योर्ड रबर को ही टायरों की रिट्रीडिंग किया जाता है एवं अन्य किसी रबर का प्रयोग रिट्रीडिंग हेतु नहीं किया जाता है इस प्रकार प्रोक्योर्ड रबर उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसुची – II के क्रमांक – 96 से आछादित है, एवं उक्त पर 5% की दर से करारोपण उचित है| उक्त ट्रैंड एवं प्रोक्योर ट्रेड रबर की फोटो प्रति साथ में सलग्न की जा रही है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिक्रय की गई वस्तु “रिट्रीडिंग रबड़” के सन्दर्भ में शासन के पत्रांक 2163/धारा-57/आयुoकo उत्तराखंड देहरादून/2008-09 दिनांक: 19.09.2008 के द्वारा 13.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गई थी|

प्रकरण शासन एवं उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-01 **अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 2.15 लाख**|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्योवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–** । राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री विजय रबर इण्डस्ट्रीज रूड़की द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹ 21,51,205/- को विलंब से जमा किया गया था(विवरण संलगन)।

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ₹ 2,15,121/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगा|

अत**:** प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र स.	**व्योव्हारी का नाम / टिन स.**	**कर निर्धारण वर्ष**	**माह**	**कर जमा करने की निर्धारित तिथि**	**कर जमा करने की वास्तविक तिथि**	**कर की धनराशि (₹) में**	**न्यूनतम आरोपनीय अर्थदण्ड(कर का 10%) (₹)**
1.	**सर्वश्री विजय रबर इंडस्ट्रीज रूडकी टिन:** 05009658606	**2013-14**	04/2013	25.05.13	09.07.2013	65968	6596.8
			05/2013	25.06.13	09.07.2013	284177	28417.7
			06/2013	25.07.13	25.10.2013	444228	44422.8
			08/2013	25.09.13	25.10.2013	390278	39027.8
			11/2013	25.12.13	15.01.2014	417972	41797.2
			01/2014	25.02.14	25.03.2014	386603	38660.3
			03/2014	20.04.14	25.04.2014	161979	16197.9
						2151205	215120.5

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
115/2017-18	01	01,02,03,04,05	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-IV रा.क., रूड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अभय कुमार पांडेय	(उपायुक्त) क.नि.-IV राज्य कर, रूडकी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-IV रा.क., रूड़की** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र